



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938

No. 2137]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

**का.आ. 2824(अ).**—केन्द्रीय सरकार, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 के नियम 3 के साथ पठित बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सलाहकार समिति, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा, को गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा श्रम संस्थान, मुंबई  | अध्यक्ष |
| 2. | महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद  | सदस्य   |
| 3. | महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनका नामनिर्देशित, जो अपर महानिदेशक के पद से नीचे का अधिकारी न हो    | सदस्य   |
| 4. | महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अथवा उनका नामनिर्देशित, जो उप-महानिदेशक के पद से नीचे का अधिकारी न हो | सदस्य   |
| 5. | मुख्य विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक, नागपुर   | सदस्य   |
| 6. | निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद  | सदस्य   |
| 7. | निदेशक, औद्योगिक आविष् विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनउ  | सदस्य   |

[फा. सं. ए-42011/2/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2016

**S.O. 2824(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) read with rule 3 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988, the Central Government hereby constitutes an advisory committee to be called the Technical Advisory Committee consisting of the following members, namely:-

1. Director General, Factory Advice Services Labour Institutes, Mumbai. - Chairman
2. Director General, Mines Safety, Dhanbad - Member
3. Director-General, Health Services, Government of India, New Delhi or his nominee not below the level of Additional Director General - Member
4. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi or her nominee not below the level of Deputy Director General - Member
5. Chief Controller of Explosives, Nagpur. - Member
6. Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad. - Member
7. Director, Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow. - Member

[F.No. A-42011/2/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.